बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13/02/2024

अ०सं०:संबं0–6032(पार्ट–I) / 2023– 136 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से औपबंधिक संबद्धता प्राप्त निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**09.02.2024** को सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 7 में अंकित बढी हुई नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No	Name of College	District	Name of Course	Existing Intake	Increase Seat	New/ Proposed Intake	Affiliation Notification No. of BUHS	Health Deptt. Approval Letter for Seat Intake	BNRC/PCI Approval Letter for Increase Seat Intake
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8	9	10
1	Taluka Institute of Nursing	Madhubani	GNM	45	55	**100**	798 / 24.11.23	140(6) / 12.01.24	88 / 25.01.24
2	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	GNM	60	40	**100**	733 / 31.10.23	151 (6) / 12.01.24	150 / 29.01.24
3	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	ANM	60	40	**100**	733 / 31.10.23	150 (6) / 12.01.24	151 / 29.01.24
4	Subhwanti Institute of Education	Siwan	GNM	60	40	**100**	733 / 31.10.23	152 (6) / 12.01.24	154 / 29.01.24
5	S. K. Global School of Health Sciences	Muzaffarpur	ANM	60	40	**100**	774 / 10.11.23	171 (6) / 15.01.24	124 / 29.01.24
6	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	ANM	60	40	**100**	733 / 31.10.23	213(6) / 22.01.24	161 / 30.01.24
7	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	GNM	60	40	**100**	733 / 31.10.23	203(6) / 19.01.24	160 / 30.01.24
8	Maa Mundeshwari Para Medical & Nursing Training Sansthan	Kaimur	ANM	50	50	100	733 / 31.10.23	144(6) / 12.01.24	137 / 29.01.24

नियम एवं शर्तेः—

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
7. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
8. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
9. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
10. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
11. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
12. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
13. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/- 13/2/2024

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0–6032(पार्ट–I)/2023– 136 / **पटना, दिनांक** 13/02/2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 13/2/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032(पार्ट–I)/2023– 136 **/ पटना, दिनांक** 13/02/2024

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032(पार्ट–I)/2023– 136 **/ पटना, दिनांक** 13/02/2024

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांकः सं0सं0–496/बी0एन0आर0सी0/2020/...................... स्वा0,पटना, दिनांक ....

शुभवन्ती सुदामा राय फाउण्डेशन, सिवान द्वारा संचालित **शुभवन्ती इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, पोस्ट– अधैला, जिला– सीवान, पिन– 841227** के अन्तर्गत **जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2024–25** से अगले तीन वर्षों के लिए एवं **पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2023–24** से अगले तीन वर्षो के लिए अवधि विस्तार के लिए **विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2283/बी0एन0आर0सी0, दिनांक 21.06.2024** के द्वारा **डा0 असीम कुमार दास, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर **जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2024–25** से अगले तीन वर्षों के लिए एवं **पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2023–24** से अगले तीन सत्रों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का सत्र अवधि विस्तार किया जाता है।

2–सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3–संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability Report प्राप्त करने का निदेश दिया जाता है।

4–प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/0–

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–सं0सं0–496/बी0एन0आर0सी0/2020/2934 स्वा0,पटना, दिनांक 16-08-24

प्रतिलिपि :– सचिव, **शुभवन्ती इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, पोस्ट– अधैला, जिला– सीवान, पिन– 841227** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, स्वा0विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/24

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
<u>आदेश</u>

आ0सं0–6/एन0–08–42/2018–.......... /पटना, दिनांक–....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–308(6), दिनांक–01.03.2019 द्वारा शुभवन्ति इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, सिवान को 60 सीटों पर नामांकन के साथ जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

पुनः संस्थान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–619(6), दिनांक–17.04.2023 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक–110/अ0नि0को0, दिनांक–28.04.2023 के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शुभवन्ति सुदामा राय फाउण्डेशन, बिहार पब्लिक स्कूल कैम्पस, रामदेव नगर, सिवान द्वारा संचालित शुभवन्ति इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, सिवान में जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु 60 (साठ) सीटों से बढ़ाकर 100 (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ख) नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/––
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0–08–42/2018..152(6) पटना दिनांक 12/01/2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, शुभवन्ति इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/1/24
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।